forward and set off of the loss and depreciation allowance shall apply accordingly. The Central Government have finalised guidelines on the conditions to be fulfilled in regard to eligibility for tax-concessions. With a view to advise the Central Government, a Committee consisting of the following officers has been notified as the "specified authority" for the purposes of section 72A of the Income-tax Act, 1961:—

Chairman

1. Secretary Department of industrial Development, Ministry of Industry, Government of India.

Members

2. Secretary, Department of Company Affairs, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Government of India.

3. Secretary, Ministry of Iabour, Government of India.

4. Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India.

4. Chairman, Central Board of Direct Taxes, Department of Revenu, Ministry of Finance, Government of India.

The "specified authority" will scrutinise applications for mergers received from the interested companies and adjudge whether the test of public interest is met, with reference *inter-alia*, to the guidelines referred to above and make recommendations to the Central Government on case to case basis. No specific report is required to be submitted by the "specified authority" to the Government. It would be an endeavour of the "specified authority" to dispose off applications for mergers as expeditiously as possible.

ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन

1987. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों को पेंशन देने का है जो 25 वर्ष से अधिक अवधि तक निरन्तर सरकारी सेवा कर चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों को पेंशन न देने के क्या कारण हैं जो आकाशवाणी में 58 वर्ष की आयु तक ठेके पर काम करते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे लोगों को पेंशन देने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती सरकार की नीति में कोई परिवर्तन करने का है; यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी): (क), (ग) और (घ). पेंशन उन सरकारी कर्मचारियों को देय है जो नियमों के अधीन सेवा निवृत्ति के समय किसी स्थायी पद को स्थायी तौर पर धारण किए हुए हो और जिनकी अहंक सेवा दस वर्ष से कम नहीं हो, अस्थायी सरकारी कर्मचारी तथा ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र नहीं हैं । अस्थायी कर्मचारियों को समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के अनुसार सेवान्त ग्रेच्युटी मिलती है और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट लाभ मिलते हैं । इस स्थिति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र नहीं हैं । वे अंशदायी भविष्य निधि के लाभों के हकदार हैं । उन्हें ग्रेच्युटी

भी वहां देय है जहां ठेके की शर्तों के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से इसे देना स्वीकार किया गया हो। आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के मामले में, कतिपय शर्तों के अन्तर्गत अंशदायी भविष्य निधि के लाभों के अतिरिक्त ग्रेच्युटी भी दी जाती है।

Equipments at Rabindra Rangashala, New Delhi

1988. SHRI BHAGAT RAM: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the imported foreign sound and electric equipment in Rabindra Rangashala, New Delhi, is getting rusted and is not being properly used; and

(b) if so, the steps taken for proper maintenance?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) The sound and electrical equipment including the imported equipment in Rabindra Rangshala is used as per requirement of the various programmes held at the Rangshala. However, due to infrequent use of the Rangshala, the optimum utilisation of the equipment has not been possible.

(b) With a view to effect economy in the expenditure, the maintenance of the equipment is being looked after by the Civil Construction Wing of the All India Radio.

रक्षा मंत्रालय के वाहनों के टायरों पर रबड़ चढ़ाने के लिए टेंडर

1989. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष वार एफ० ओ० डी० 1 उधमपुर द्वारा रक्षा मंत्रालय तथा आयुध डिपुओं के वाहनों के टायरों पर रबड़ चढ़ाने के लिये आमंत्रित टेंडरों पर किन फर्मों ने टेंडर दिये हैं ;

(ख) किन पार्टियों से टेंडर आमंत्रित किये गये हैं और क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश फर्में दिल्ली की थीं और यदि हां, तो क्या यह सच है कि उनके टेंडर एक समान हैं और ऐसी कितनी पार्टियां थीं जिनके टेंडर रेट दिल्ली की पार्टियों से कम थे तथा उनके क्या नाम हैं ; और

(ग) क्या ऐसे शिक्षित बेरोजगार और हरिजन ने टेंडर भरे थे जो जम्मू क्षेत्र में कार्यरत हैं और यदि हां, तो उसे कितना कार्य करने को दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) विद्यमान कार्यविधि के अन्तर्गत, थलसेना के लिये टायरों पर रबड़ चढ़ाने के टेंडर मंगाने और उनकी दर-संविदा को अन्तिम रूप देने की जिम्मेवारी, पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की है। टायरों पर रबड़ चढ़ाने के लिए एफ० ओ० डी० 1 द्वारा टेंडर नहीं मंगाए जाते।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

Rural and Urban Unemployed and creation of Jobs

1990. SHRI S. R. DAMANI:
SHRI R. KOLANTHAIVELU:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government have collected up-to-date figures of rural and urban unemployed in the country, State-wise and if so, the details thereof;

(b) what is the yearly target fixed for creating new jobs and whether it will take care to provide employment to the new numbers being added to the lists while clearing the backlog;

(c) how many new jobs have been created in the current year and how many have been provided, State-wise; and